ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-12* March- 2020
Anthology : The Research

भारत मे संविदा कर्मचारियो का मुल्यांकन एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों की स्थिति

कमल गुलाटी
Technician (DEO)
JALMA (ICMR), Agra
& Former Librarian
Sai Nath College

अतुल कुमार सारस्वत
फील्ड वर्कर,
NJIL & OMD
ताजगंज, आगरा, भारत

सारांश

आज केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदाकर्मी अपनी भूमिका लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागो में बना रहें हैं। संविदाकर्मी अपना कार्य सरकारी कर्मियों की तुलना में कम वेतन एवं अधिक मेहनत, निष्ठा, लगन के साथ कर रहें हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदाकर्मियों को स्थायी कर्मचारियों की तुलना में न तो कोई अतिरिक्त अवकाश मिलता हैं एवं न ही चिकित्सयिक बीमा, फण्ड एवं अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। अगर संविदाकर्मी किसी भी मासिक सामान्य या मैडिकल अवकाश लेता है तो उसका वेतन विभाग द्वारा/ठेकेदार द्वारा काट लिया जाता हैं। साथ ही महिला संविदाकर्मी को मात्त्व अवकाश से वंचित रखा जाता हैं जो कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार में संविदाकर्मियों के साथ मानविक अधिकारो के हनन की स्थिति दर्शाता हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव संविदाकर्मियों के द्वारा किये गये कार्यो पर पड़ता हैं। अगर सरकारी कार्यालयों में संविदाकर्मी (सरकारी कार्यालयो में संविदाकर्मी को हमेशा प्राइवेट कर्मी की दृष्टि से देखा जाता रहा हैं) की स्थिति इतनी बद्तर हैं तो देश के प्राइवेट प्रतिष्ठानो में कर्मचारियों की स्थिति का अंदाजा इसी लेख से लगाया जा सकता हैं। इसी क्रम में चलते वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार के संविदाकर्मी के प्रति कुछ सराहनीय कदम भी उल्लेखित हैं।

प्रस्तावना

हमारे देश में प्रजातंत्र प्रणाली हैं, प्रजातन्त्र अर्थात प्रजा की सरकार इस प्रणाली को चलाने के लिये केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सरकारी विभाग एवं कार्यालय बनाये गये हैं, जैसे रेलवे, बिजली, जल विभाग, आयकर, जिला अस्पताल, शिक्षा, परिवहन, खेल, सिचांई आदि जो कि प्रजा की समस्याओं का एवं प्रजा के कार्यो का निस्तारण एवं निष्पादन कर सके साथ ही अपनी सेवाएँ भी दे सके। आजादी के बाद से विभिन्न सरकारी क्षेत्रो मे कर्मचारियों की भर्ती हुई एवं समय समय पर यह भर्ती चलती रही, जिससे सरकारी विभागो का कार्य हमेशा से दुरूस्त एवं सुचारू रूप से चलता रहता था लेकिन पिछले कुछ सालो सें स्थायी कर्मचारियों के रिटायरमैन्ट होने से ज्यादातर सरकारी विभागो में स्थायी कर्मचारी की संख्या मे कमी आ गयी एवं बढ़ती जनसंख्या के चलते एवं बढ़ते हुये कार्य के दबाब में सरकार को कई अतिरिक्त नये विभाग और कार्यालय खोलने पड़े, जिससे कि रिटायरमैन्ट कर्मचारी के कार्यो का भार, शेष बचे सरकारी कर्मचारियो पर आ गया एवं कई विभागो में कर्मचारियों के आभाव और शेष कर्मचारियों पर आये अतिरिक्त कार्यभार से सरकारी कार्य व्यवस्था अयस्त–व्यस्त होने लगी हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ सालों से सरकार की नीती के अन्तर्गत संविदा कर्मचारी रखे जाने लगे, जिससे कि समय के साथ बढ़ते हुये कार्य एवं कर्मचारियों के रिटायरमैन्ट हो जाने कार्य के दबाब को कम कर सकें। दूसरे शब्दों में सरकार स्थायी कर्मचारी नियुक्त ना कर संविदा कर्मचारियों को नियुक्त कर विभागो में कर्मचारियों की संख्या को पूरा करने की कोशिश रही हैं, जिससे कि समय के साथ सरकारी कार्यालय में बढ़ते कार्यो का निष्पादन हो सके।

क्या हैं संविदा कर्मचारी ??

हमारे देश में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधीन ज्यादातर कार्यालयो में कार्य को सम्पन्न करवाने हेतु संविदा पर कर्मचारी रखे जाते हैं, जिन्हे संविदा कर्मचारी के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं। संविदा कर्मचारी का अर्थ है कि विभाग द्वारा दिया गया पद एवं कार्य का निर्वहन संविदा/अनुबन्ध/ठेके पर कार्य करना। संविदा कर्मचारी दो प्रकार के होते हैं:–

- संविदा कर्मचारी, जिन्हे सीधे विभाग संविदा पर नियुक्त करता हैं, जिसके लिये कर्मचारी को विभाग द्वारा निर्धारित कान्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
- संविदा कर्मचारी जिसे विभाग द्वारा नियुक्त ठेकेदार के द्वारा कार्य मिलता हैं, यहॉ विभाग कोन्ट्रैक्ट ठेकेदार से करता हैं जहॉ ठेकेदार संविदाकर्मी एवं विभाग की मध्यस्ता का कार्य करता है।

संविदाकर्मीयो की वास्तविक आवष्यकता :–

अधिकतर कार्यालयो एंव प्रतिष्ठानो में सम्पन्न होने वाले कार्यो को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :–

स्थायी कार्यः कार्यालयो एवं प्रतिष्ठानो में नित्य क्रम के कार्य जैसे– टंकण कार्य, लिपिकीय कार्य, एकाउन्ट कार्य, चपरासी, चौकीदारी आदि कार्य स्थायी कार्य में आते हैं। इन कार्यो का सम्पन्न करवाने के लिये स्थायीकर्मियों की आवश्यकता होती हैं।

अस्थायी कार्यः कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में कुछ कार्य जो एक अन्तराल में आवश्यकता होने पर किये जाते हैं, जैसे फोटोग्राफी, बढ़ई, लाइटिंग कार्य आदि अस्थायी कार्य के अन्तर्गत आते है। चुकिं इस प्रकार के कार्य एक अन्तराल में आवश्यकता पड़ने पर ही करवाये जाते हैं एवं यह कार्य अल्प समय में ही पूर्ण हो जाते हैं, इसलिये इन कार्यो को करवाने के लिये संविदा कर्मचारी रखना ही उपयुक्त होता हैं।

सरकार द्वारा संविदाकर्मियों को रखे जाने के उददेष्य

वेतनमान की बचत :– संविदा कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के मुकाबले निर्धारित वेतनमान से बहुत कम वेतन देकर रखा जाता हैं अर्थात एक स्थायी कर्मचारी की तनख्वाह एवं सुविधाओं की तुलना हम तीन से चार संविदा कर्मचारियों से कर सकते हैं।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना : भारत सरकार एवं राज्य सरकार में संविदाकर्मीयों को फण्ड, बोनस, चिकत्सीय सुविधा, अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाओ से वंचित रखा जाता हैं, जिससे सरकार को अप्रत्यशित रूप से लाभ होता हैं।

अधिक कार्य की अपेक्षा :– संविदा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी होते हैं, जिनको कार्य से कभी भी बिना किसी नोटिस के विभाग द्वारा या ठेकेदार द्वार निष्काशित किया जा सकता हैं इसीलिये संविदा कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि वह स्थायी कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक से अधिक कार्य करें।

संविदा कर्मचारियों को रखने में सम्भावित हानियॉ

भ्रष्टाचार को बढ़ावा :– जिन विभागो में संविदाकर्मीयों की नियुक्ति ठेकेदार के मध्यस्थ होती हैं वहॉ अधिकतर सरकारी विभाग में स्थायी अफसर ठेकेदारो को कान्ट्रैक्ट देने के एवज में मोटी रकम कमीशन के फलस्वरूप वसूल करते हैं चुंकि कान्ट्रैक्ट एक निश्चित अन्तराल के बाद रिन्यू होता हैं इसलिये विभागीय अफसरो की ठेकेदारो से कमीशनखोरी बरकरार रहती हैं, जिसके खमियाजा संविदा कर्मी को उठाना पड़ता है।

स्थायी सरकारी अफसरो और ठेकेदारो की मिलीभगत के फलस्वरूप अधिकतर संविदा कर्मचारियों को श्रम मंत्रालय से निर्धारित वेतनक्रम की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता हैं एवं संविदाकर्मी के निर्धारित वेतन का एक बड़ा भाग ठेकेदार के खाते में चला जाता हैं।

गोपनीयता भंग होना :– संविदा कर्मचारी की नियुक्ति विभिन्न सरकारी विभाग में होती हैं, जहॉ संविदाकर्मी को अधिकतर विभागीयकर्मी के साथ मिलकर कार्य करना होता हैं। समस्त प्रकार के दस्तावेज पर संविदा कर्मीयो के हाथो में रहते हैं। संविदाकर्मी अस्थायी होते हैं, जिसके कारण उनकी विभाग के प्रति कोई भी सीधी जिम्मेदारी नही होती हैं और यही कारण हैं कि अस्थायीयता एवं कम वेतन के कारण संविदाकर्मी द्वारा विभागीय गोपनीयता के भंग होने का खतरा बना रहता है।

कार्य की गुणवत्ता :– अधिकतर ठेकेदार ऐसे संविदाकर्मी को कार्य देते हैं, जो कि कम से कम वेतन में कार्य कर सके ऐसे ठेकेदारो को संविदाकर्मी की कार्य कुशलता से कोई लेना–देना नही होता। संविदाकर्मी का कम वेतन में रखे जाने का प्रभाव निश्चित ही उनकी कार्यगुणवत्ता पर पड़ता हैं, जिस कारण वह विभागीय कार्यो में पूर्ण रूप से रूचि नही रखतें हैं, जिसके फलस्वरूप विभागीय कार्य अधिक लागत में कम गुणवत्ता के साथ सम्पन्न होता है।

विभागीय सुरक्षा :– सरकारी विभाग किसी भी संविदा कर्मचारी का कोई रिकार्ड नही रखा जाता हैं। अगर कोई संविदाकर्मी सरकारी परिसर पर किसी घटना को अंजाम देता हैं, तो बिना किसी रिकार्ड के सरकारी कार्यालय किस प्रकार संविदा कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर सकता हैं। दूसरे शब्दो में संविदा कर्मचारियों के सरकारी विभाग में उनके द्वारा किये गये कार्य रिकार्ड एवं उपस्थिति रिकार्ड के आभाव में सरकारी कार्यालय संविदा कर्मचारी के द्वारा घटित किसी भी घटना विरूद्ध सीधे अनुशासनात्मक एवं

अन्य प्रकार के वैद्यानिक कार्यवाही करने में असक्षम होते हैं।

स्थायी कर्मचारियो की कार्य के प्रति षिथिलता एवं लापरवाही :– अधिकतकर विभाग/कार्यालयों में स्थायी कर्मचारी अपने कार्यो का पूर्ण बोझ संविदा कर्मचारियों पर उनकी योग्यता एवं कार्यक्षमता को नजर अन्दाज करते हुये लाद देते हैं उदाहरणार्थ कार्यालयों में चपरासी, क्लर्क का, अस्पताल में कम्पाउन्डर, डॉक्टर की तरह कार्य करें या मिस्त्री इंजीरिनयर का कार्य वहन करें।

संविदाकर्मियों की समस्याएँ

संविदाकर्मी जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी विभाग को देते हैं। अधिकतर स्थितियों में जब संविदाकर्मी जो लम्बे समय से विभाग में अपनी सेवा देता हैं, जब समय के परिवर्तन के साथ उसकी कार्य कुशलता में कमी आने का अंदेशा होता हैं तो विभाग/ठेकेदार उसे निकाल देते हैं, जिससे उपरोक्त संविदाकर्मी को अपने शेष जीवन यापन करने के लिये नये सिरे से संघर्ष करने पर मजबूर होता हैं। उसके सामने प्रष्न होता हैं कि वह अपना बाकी जीवन कैसे व्यतीत करेगा। यहॉ नोट करनी वाली बात हैं कि एक कर्मचारी पर पूरा परिवार निर्भर रहता हैं अर्थात विभाग/सरकार उस व्यक्ति को निकालने के साथ–साथ पूरे परिवार के साथ अन्याय करते हैं।

विभाग/सरकार की जिम्मेदारी

संविदाकर्मियो को सरकारी कर्मचारियों की तरह समक्ष वेतन एवं सुविधाए मिलनी चाहिए। यह विभाग की जिम्मेदारी हैं (क्योकि कर्मचारी विभाग के परिसर के अन्दर ही विभाग के हित में कार्य कर रहा हैं) कि उसके द्वारा नियुक्त ठेकेदार श्रम मन्त्रालय के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन, बोनस, पीएफ, मेडिकल आदि सुविधाएँ प्रदान करे।

चुंकि ठेका कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से विभाग के परिसर में विभागीय हित में कार्य करते हैं एवं यदि ठेकेदार द्वारा संविदा कर्मचारी का किसी भी प्रकार से शोषण होता है, चाहे वो शारीरिक शोषण हो या फिर मानसिक, या वैतनिक शोषण, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त विभाग की होगी।

कर्मचारी को निकालने/सस्पैंड की संस्तुति कारण सहित विभाग ठेकेदार को या फिर ठेकेदार विभाग को देगा एवं सस्पैंड की वजह की प्रोपर चार्जशीट बनेगी। (यह स्थिति इस बात पर निर्भर है कि कर्मचारी से कार्य कौन करवां रहा हैं ठेकेदार या विभाग कई जगह कर्मचारी के विभाग कार्य लेता एवं कई जगह ठेकेदार कर्मचारियों से कार्य लेता हैं)

विभाग उन ठेकेदारो को ठेका देता हैं जो कि सबसे कम बोली लगाते हैं, कई बार ठेकेदार बोली लगाते समय श्रम मन्त्रालय के द्वारा निर्धारित तय मानको को भूलकर बोली लगाते हैं, जिससे कर्मचारियो के वेतन पर प्रभाव पड़ता हैं। सरकार को चाहिए कि विभाग को निर्देशित करें कि ठेकेदारो को बोली कर्मचारियो के वेतन पर नही लगानी हैं, अपितु अपने कमीशन की लगानी हैं। ठेकेदार की जिम्मदारी होगी कि कर्मचारी के निर्धारित वेतन को कर्मचारी के हाथ में ना देकर उसके एकाउन्ट में डाले एवं इसकी सूचना सम्बन्धित दस्तावेज सहित विभाग को दे।

विभिन्न सरकारी संस्थान प्रोजैक्ट हेतु सीधे संविदाकर्मियो की भर्ती करते है एवं प्रोजैक्ट के समापन के बाद उन संविदाकर्मी को निकाल देते हैं। इससे सरकारी संस्थान एवं संविदाकर्मियों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ता हैं। सरकारी संस्थान को नये प्रोजैक्ट के लिये दोबारा विज्ञापन देना, संविदाकर्मी को नियुक्त करना, उन्हे कार्य नये सिरे से सिखाना अथवा दक्ष करना पड़ता हैं साथ ही संविदाकर्मी को दोबारा अपना नियुक्ता तलाशने के लिये संघर्ष करना पड़ता हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे संविदाकर्मियो को एक समयान्तराल बाद प्रोजेक्ट हेतु स्थायी रूप से नियुक्त करें।

उत्तर प्रदेश सरकार का संविदाकर्मियों के प्रति भूमिकाः– वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं, जिसके फलस्वरूप संविदाकर्मी को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश, महिला संविदा कर्मी को प्रस्तुति अवकाश एवं सरकारी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विभाग के समकक्ष पद के लिये स्वीकृत वेतन व ग्रेड वेतन का न्यूनतम और उस पर समय–समय पर दिये जाने वाले मॅहगाई भत्ते के बराबर संविदा राशि प्रदान करने के लिये आवश्यक कदम उठाये है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागो में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने को भी विचारणीय बनाया हैं। साथ ही उत्तर प्रदेष सरकार शिक्षा मित्रो को प्रशिक्षित कर उन्हे स्थायित्वता देने को भी विचरणीय हैं।

निष्कर्ष :– संविदा कर्मियों की भारत सरकार के कार्यालयो एवं भारत के अधिकतर राज्यों मे (वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर) अच्छी दशा नही हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागो के प्रति संविदाकर्मियों द्वारा कार्य प्रणाली मे स्पष्ट झलकता हैं।

सन्दर्भ

1. www.**indian**kanoon.org
2. http://labourbureau.nic.in/
3. ***http://labour**.nic.in/*